



बिहार सरकार

खाद्य संरक्षा आयुक्त का कार्यालय

परिचालक कार्यालय, पटना, शेखपुरा, पटना 800014


आदेश

पत्रांक FSC/85/2015/274

पटना/दिनांक 08.01.2016

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 238, दिनांक 04.07.2015 के द्वारा यह निदेश जारी किया गया था कि जबतक गैरले कंपनी अपने सभी नौ प्रकार के नूडल्स का Product Approval, FSSAI से नहीं प्राप्त कर लेती है, तब तक संपूर्ण बिहार राज्य में उनके उत्पाद नौ प्रकार मैगी नूडल्स के विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।

ए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक P 15025/SCJ/2015-PA/FSSAI, दिनांक 26.08.2015 के आलोक में आपके सभी नौ प्रकार के मैगी नूडल्स पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।



(आर० के० महाजन)
खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FSC/85/2015/274

पटना/दिनांक 08.01.2016

परिचालन


- सभी अभिहित अधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आर० के० महाजन)
खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FSC/85/2015/274

पटना/दिनांक 08.01.2016

परिचालन : मुख्य सचिव, बिहार/ प्रधान सचिव, गृह सचिव, बिहार/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


(आर० के० महाजन)
खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।